

# पॉलिसी के स्वामित्व में परिवर्तन

पॉलिसी क्रमांक

जीवन बीमित व्यक्ति का पूरा नाम  अभिवादन  प्रथम नाम  उपनाम

मृतक प्रस्तावक का पूरा नाम  अभिवादन  प्रथम नाम  उपनाम

## दिशा-निर्देश

- स्वामित्व में परिवर्तन सिर्फ प्रस्तावक की मृत्यु होने की स्थिति में ही स्वीकारणीय है (यानी जहाँ जीवन बीमित और प्रस्तावक दो अलग लोग हैं) या जब अवयस्क जीवन बीमित वयस्क हो जाता है।
- एक बीमा पॉलिसी का प्रस्तावक, पॉलिसी का मालिक होता है (उसे पॉलिसीधारक भी कहा जाता है) जो इसके तहत कोई लाभ पाने के लिए अधिकृत होता है, और उसे पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी लेनदेन करने का अधिकार होता है। इसलिए, इस दृष्टि से, एक प्रस्तावक की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप पॉलिसी उसकी संपत्ति का हिस्सा बन जाती है।
- इस प्रपत्र को भरना और जमा किया जाना कम्पनी को उपरोक्त पॉलिसी के लिए नए मालिक को अभिलेखित किए जाने में मदद करेगा।
- इस प्रपत्र को सभी श्रेणी -I के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया जाना है।
- श्रेणी -I के कानूनी उत्तराधिकारी मृतक व्यक्ति के सन्निकट परिवारिक सदस्य हैं। उदाहरण के लिए, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार, एक पुरुष के कानूनी उत्तराधिकारी उसकी पत्नी, बच्चे और उसकी माँ हैं।
- उस स्थिति में जब जीवन बीमित नया मालिक चुना जाता है तो कम्पनी को नामांकन को अभिलेखित करने में सक्षम बनाने के लिए कृपया एक अलग नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत करें।
- सभी लाभ/अधिकार पॉलिसी के अधीन कथित परिस्थितियों के अधीन हैं।
- जहाँ जीवन बीमित अल्प वयस्क है, नया मालिक पॉलिसी का तब तक मालिक रहेगा जब तक कि जीवन बीमित वयस्क नहीं हो जाता।
- सभी भावी संवाद नए मालिक के नाम पर भेजे जाएंगे।

## घोषणा

जीवन बीमित  वयस्क  अवयस्क है

यदि ऊपर वयस्क चुना जाता है, तो निम्नांकित जानकारी भरना आवश्यक नहीं। जीवन बीमित पॉलिसी का नया मालिक होगा।

यदि ऊपर अवयस्क चुना जाता है, तो कृपया निम्नांकित प्रपत्र को भरना जारी रखें :

प्रस्तावक की मृत्यु  को हो गई है और उपरोक्त पॉलिसी उनकी संपत्ति का एक हिस्सा बन चुकी है। हम घोषणा और कथन करते हैं कि सिर्फ हम ही श्रेणी -I के उत्तराधिकारी हैं जो उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के लिए अधिकृत हैं।

हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि हमें श्री/सुश्री \_\_\_\_\_ के उपरोक्त पॉलिसी के पूर्ण रूप से मालिक बनने पर कोई आपत्ति नहीं है। हम जानते हैं कि नए मालिक के पास इसके बाद उपरोक्त पॉलिसी के अंतर्गत सभी लाभ और अधिकार होंगे और प्रीमियम प्रामाणिक स्रोतों के द्वारा भुगतान की जाएगी। हम जानते हैं और पूरी तरह समझते हैं कि प्रस्तावक की मृत्यु होने पर, जीवन बीमित के अवयस्क होने की स्थिति में, हमारे द्वारा चुना गया मालिक सिर्फ जीवन बीमित के वयस्क होने तक ही मालिक बना रहेगा।

## ऊपर चुने गए विकल्प के लिए मृतक प्रस्तावक के सभी श्रेणी -I के कानूनी उत्तराधिकारियों की स्वीकृति

किसी भी कानूनी उत्तराधिकारी के लिए जो अवयस्क है, उसके संरक्षक को उसकी जगह हस्ताक्षर करना चाहिए। ज़्यादा नामों की स्थिति में एक अलग पत्रक संलग्न करें।

पूरा नाम और हस्ताक्षर	जन्म दिनांक	पूरा पता	मृतक प्रस्तावक के साथ संबंध	प्रतिशत % (अभ्यर्पण की स्थिति में स्पष्ट करें)
समय और स्थान				
समय और स्थान				
समय और स्थान				
समय और स्थान				

**टिप्पणी :** उपर्युक्त प्राधिकरण पर हस्ताक्षर करने वाले, हम लोग एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि सिर्फ हम ही मृतक के श्रेणी -I के कानूनी उत्तराधिकारी हैं और मृतक पॉलिसीधारक की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के लिए अधिकृत हैं। हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि उपरोक्त दिया गया विवरण सभी संबंधों में सत्य, पूर्ण और सही है। यदि किसी मामले में कोई भी विवरण गलत/झूठा पाया जाता है, हम कम्पनी को सभी नुकसान, व्यय, शुल्क और खर्च (किसी कानूनी अभियोग में लागत सहित) से हानिरहित रखने का उत्तरदायित्व उठाते हैं जो कम्पनी को उसके परिणामस्वरूप उठाने पड़ सकते हैं या सामने आ सकते हैं।

## पैन अद्यतन करना

जुलाई 1, 2011 से प्रभावी, वहाँ पैन नंबर देना अनिवार्य है, जहाँ पॉलिसीधारक एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित ₹ 50,000 या उससे ज़्यादा सकल राशि के प्रीमियम का भुगतान करता। प्रीमियम का भुगतान नगद भी हो सकता है या बैंक लेनदेन के माध्यम से भी, यह टॉप-अप की स्थिति में भी लागू है। पॉलिसी धारक जिनके पास पैन नंबर नहीं है वे प्रपत्र 60 या प्रपत्र 61 जमा कर सकते हैं।

पैन क्रमांक

नाम (जैसा पैन कार्ड पर दर्शाया हो)  अभिवादन  प्रथम नाम  उपनाम

जमा प्रलेख :  पैन कार्ड की छायाप्रति  प्रपत्र 60  प्रपत्र 61

## नए मालिक का विवरण

नाम  अभिवादन  प्रथम नाम  उपनाम  जन्म दिनांक

लिंग  पुरुष  स्त्री

पता :  निवास का पता  स्थायी पता

शहर  राज्य  पिन कोड

संपर्क के लिए नं.  एसटीडी  निवास  एसटीडी  कार्यालय  एक्स.  आईएसडी  मोबाइल

ई-मेल आईडी

वैवाहिक स्थिति  अविवाहित  विवाहित  विधुर  तलाक

राष्ट्रीयता  भारतीय  गैर-भारतीय आवासीय स्थिति  प्रवासी भारतीय  अप्रवासी भारतीय निवास का राष्ट्र

आप हैं :

- वेतनभोगी  निजी मर्यादित  सार्वजनिक मर्यादित  शासकीय  न्यास  साझेदार/मालिक  अन्य
- व्यवसाय के मालिक  व्यापार  विनिर्माण  सेवा
- स्वनियोजित    गृहिणी  छात्र  कृषक  अन्य

यदि सेवा निवृत्त/पेंशनभोगी हैं, कृपया अपने पिछले संगठन, व्यवसाय और पद का विवरण चिह्नित करें :

- आपका संगठन  निजी मर्यादित  सार्वजनिक मर्यादित  शासकीय  अन्य
- नौकरी/व्यवसाय की प्रकृति  पद

### केवायसी प्रलेख :

1. पहचान का साक्ष्य
2. पते का साक्ष्य
3. आय का प्रमाण (यदि लागू हो)

कृपया समनुदेशिती/पॉलिसी के नए मालिक के मूल केवायसी प्रलेख (छायाप्रतियों के साथ) साथ लाएँ।

राजनीतिक संपर्क वाले व्यक्ति (पीईपी) वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें विदेश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं, उदाहरण के तौर पर राज्य या सरकार प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ शासकीय/न्यायिक/सेन्य अधिकारी, राज्य स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ कर्मचारी, महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियों के अधिकारी आदि, जिनमें उनके परिजन के साथ ही निकटतम संबंधी शामिल हैं।

क्या आप एक राजनीतिक संपर्क वाले व्यक्ति हैं?  हाँ  नहीं

जीवन बीमित के साथ संबंध

मृतक स्वामी के साथ संबंध

नए मालिक के हस्ताक्षर

जीवन बीमित के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

### केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु :

स्पार्क कॉल आईडी  दिनांक

स्कैनिंग के बिनेट  प्राप्तकर्ता

टिप्पणी

मोहर  
और  
समय

### प्राप्ति पर्ची

यह आवेदन प्राप्ति की स्वीकृति के लिए है -  स्वामित्व में परिवर्तन  पैन अद्यतन करना

पॉलिसी क्रमांक  दिनांक

प्राप्तकर्ता

मोहर  
और  
समय



किसी भी पूछताछ के लिए कृपया हमारे ग्राहक सेवा नं. 1860-266-7766 पर संपर्क करें कॉल सेंटर का समय : सुबह 9.00 बजे से रात 9.00 बजे तक, सोमवार से शनिवार (राष्ट्रीय अवकाश के अतिरिक्त), स्थानीय दरें लागू

#### संपर्क का पता

आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इश्योरेन्स कंपनी, विनोद सिल्क मिल्स कंपाउंड, चक्रवर्ती अशोक नगर, अशोक रोड, कांदिवली (पू.), मुंबई - 400101.